रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 912] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 9, 2018/फाल्गुन 18, 1939

No. 912] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 9, 2018/PHALGUNA 18, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2018

का.आ. 1028(अ).—यतः केंद्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 910(अ), तारीख 21.04.2010 के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 03 के आगरा-इन्दौर सेक्शन के 103.000 कि.मी. से 610.000 कि.मी. आगरा पर 0.000 कि.मी. और 0.000 कि.मी. से 12.600 कि.मी. इन्दौर-मुंबई सेक्शन (इन्दौर बाइपास होकर ग्वालियर-देवास-राऊ सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा है;

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर 332.100 कि.मी. से 426.100 कि.मी. तक (डिजाइन चैनेज 97.700 कि.मी. से चैनेज 191.200 कि.मी. तक) गुना-ब्यावरा सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात "उक्त सेक्शन" कहा गया है) के चार लेन मानक में विकास हेतु 22.06.2015 को प्रस्तुत बोली के लिए डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर मैसेर्स जालपा देवी टोलवेज लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लाट नं. 5, इनसाइड गोविंद नारायण सिंह गेट, चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल-462016, में है, (जिसे इसमें इसके पश्चात "रियायतग्राही" कहा गया है), के साथ 21.09.2015 को करार (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त करार कहा गया है) किया है,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 जिसे सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसम्बर 2008 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और जिसे सा.का.नि. 950 (अ),

तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 1756 (अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2011, सा.का.नि. 778 (अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013, सा.का.नि. 26 (अ), तारीख 16 जनवरी, 2014, सा.का.नि. 831 (अ), तारीख 21 नवम्बर, 2014, सा.का.नि. 02 (अ), तारीख 19 दिसम्बर, 2014 और सा.का.नि. 220 (अ), तारीख 23 मार्च, 2015, द्वारा संशोधित किया गया था, (जिसे इसमें इसके पश्चात "नियम" कहा गया है), उक्त खंड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन में निहित व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का दवाब तथा प्राधिकरण एवं रियायतग्राही के बीच हुए उक्त करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतदद्वारा अधिसूचित करती है कि सड़क खंड की निवल लंबाई 84.8896 कि.मी. और संरचनाएं (60 मीटर लम्बाई की) जिनकी लम्बाई 0.8104 कि.मी. (समकक्ष लंबाई 8.104 किमी) है के उक्त सेक्शन के चार या अधिक लेन के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर सारणी (1) के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर और 10 करोड़ रूपए अथवा उससे अधिक की लागत के बाइपासों, जिनकी कुल लम्बाई 7.800 कि.मी. है, के उपयोग के लिए नीचे सारणी 1 में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर नीचे सारणी (1) के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के डेढ़ गुना की दर पर शुल्क उदग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा एवं उक्त रियायतग्राही को प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, करार में यथाविनिर्दिष्ट समापन की तारीख तक शुल्क को संग्रहीत और प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है;

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एचसीएम) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एमएवी) (चार से 6 धुरी वाले)	3.45
बड़े आकर वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दर पर ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु, शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाज़ा(प्लाजाओं) का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
113.278 कि.मी. पर (विद्यमान 348.885 कि.मी.) गुना जिले में पगारा गांव के निकट	49.222 10 करोड़ रुपए से अधिक लागत के बाइपास और 60 मीटर से अधिक लम्बाई की संरचनाओं को छोड़कर)	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित दरों का 100%
165.197 कि.मी. पर (विद्यमान 400.465 कि.मी.) गुना जिले में जोगीपुरा गांव के निकट	35.6676 10 करोड़ रुपए से अधिक लागत के बाइपास और 60	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित दरों का 100%

	मीटर से अधिक लम्बाई की संरचनाओं को छोड़कर)	
योग	84.8896	

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों), जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की लम्बाई हेतु उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दर के डेढ़ गुना की दर पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	बाइपास का नाम	डिजाइन चैनेज		बाइपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
		पर शुरू हो कर	पर मिलते हुए		
113.278 कि.मी. पर (विद्यमान 348.885 कि.मी.) गुना जिले में पगारा गांव के निकट	रूथाई बाइपास	109.300 (विद्यमान 344.250 कि.मी.)	111.500 (विद्यमान 347.100 कि.मी.)	2.050 (60 मीटर से अधिक लम्बाई की संरचनाओं को छोड़कर)	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित दरों का 150%
165.197 कि.मी. पर (विद्यमान 400.465 कि.मी.) गुना जिले में जोगीपुरा गांव के निकट	बीनागंज बाइपास	149.400 (विद्यमान 385.000 कि.मी.)	155.150 (विद्यमान 390.300 कि.मी.)	5.750	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित दरों का 150%
			योग	**7.800**	

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दर पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
113.278 कि.मी. पर (विद्यमान 348.885 कि.मी.) गुना जिले में पगारा गांव के निकट	0.428*	4.280	ऊपर सारणी - 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100 %
165.197 कि.मी. पर (विद्यमान 400.465 कि.मी.) गुना जिले में जोगीपुरा गांव के निक़ट	0.3824**	3.824	ऊपर सारणी - 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100 %
कुल	0.8104	8.104	

*संरचनाओं (60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली) का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रम सं.	आरंभ चैनेज (कि.मी. पर)	समाप्त चैनेज (कि.मी. पर)	संरचना का प्रकार और नाम	कुल लंबाई (मीटर में)
(i)	109.845	109.995	बड़े पुल (रूथाई बाइपास पर 5*30)	150.000
(ii)	132.791	133.069	बड़े पुल (1*20+7*34+1*20)	278.000
			संरचना की कुल लम्बाई	**428.000**

**संरचनाओं (60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली) का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रम सं.	आरंभ डिजाइन चैनेज (कि.मी. पर)	समाप्त डिजाइन चैनेज (कि.मी. पर)	संरचना का प्रकार और नाम	कुल लंबाई (मीटर में)
(i)	168.851	168.949	बड़ा पुल (1*12+ 3* 24. 8+ 1* 12)	98.400
(ii)	185.679	185.781	बड़ा पुल (4*25.4)	101.600
(iii)	185.178	185.252	फ्लाई ओवर (1*15.6+ 2*21.6+1*15.6)	74.400
(iv)	190.196	190.304	फ्लाई ओवर (1*37+1*34+1*37)	108.000
			संरचना की कुल लम्बाई	**382.400**

4. स्थानीय निजी यातायात हेतु वर्ष 2017-18 के लिए मासिक पास की दर 245.00/- रुपए (दो सौ पैतालीस रुपए मात्र) है और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक वर्ष संशोधन के अधीन हैं।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किए जाएंगे, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चैबीस घंटे
पचास और उससे अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

7. यात्रिक वाहन जो नियमों के अधीन उसकी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ हो उसे टोल प्लाजा के पार जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के उपयोग के लिए तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाता। ऐसे अधिक भार से लदे हुए यांत्रिक वाहन के

चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के यांत्रिक वाहनों के लिए नियमों के अधीन लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा ।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा–उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा उसे रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेज़ी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा और इसके तत्पश्चात उक्त नियमों के नियम 5 और रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा और प्रकाशित करवाया जाएगा, परंतु शर्त यह है कि शुल्क में पिछली बार किए गए संशोधन कि तारीख से 6 (छ) महीने की अवधि के भीतर कोई संशोधन नही किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/सीओ/16-17/गुना-ब्यावरा सेक्शन /बीओटी (टोल)]

दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2018

S.O. 1028(E).— Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 910 (E), dated 21.04.2010 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 103.000 to kilometer 610.000 of Agra-Indore section km 0.000 at Agra and from km 0.000 to km 12.600 of Indore-Mumbai section (Gwalior-Dewas-Rau via Indore Bypass section) of National Highway No. 3 in the State of Madhya Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an agreement on 21.09.2015 (hereinafter referred to as "said agreement") with M/s Jalpa Devi Tollways Limited having its registered office Plot No. 5, Inside Govind Narayan Singh Gate, Chuna Bhatti, Kolar Road, Bhopal-462016 (hereinafter referred to as the "Concessionaire") for the bid submitted on 22.06.2015 for the development of Guna-Biaora Section from km 332.100 to km 426.100 (having design chainage km 97.700 to design chainage km 191.200) on National Highway No. 3 in the State of Madhya Pradesh (hereinafter referred to as the "said section") to four lane standards as BOT (Toll) on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R. 838(E) dated 5th December, 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 1756(E) dated 12th October, 2011, G.S.R 778(E) dated 16th December, 2013, G.S.R. 26(E) dated 16th January, 2014, G.S.R. 831(E) dated 21st November, 2014, G.S.R. 02(E) dated 19th December, 2014 & G.S.R. 220 (E) dated 23rd March, 2015 (hereinafter referred to as the "Rules"), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of four

or more lanes of the said section at the rates specified in column (2) of Table 1 below for net road section length of 84.8896 km and structures (>60 m length) having length of 0.8104 km (equivalent length of 8.104 km) and at one and half times the base rate specified in column (2) of Table 1 below for the use of bypasses, costing Rupees ten crore or more, having total net length of 7.800 km on the Type of Vehicles specified in Table 1 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

Table 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza, at the base rate mentioned in Table 1 above, for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (Design chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At km 113.278 (existing km 348.885) near Village Pagara in District Guna	49.222 (Excluding length of Bypass Costing > Rs. 10 Crores and structures >60m length)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
At km 165.197 (existing km 400.465) near Village Jogipura in District Guna	35.6676 (Excluding length of Bypass Costing > Rs. 10 Crores and structures >60m length)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
Total	**84.8896**	

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) at the following Toll Plaza(s) at one and half times of the base rate mentioned in Table 1 above for the length of bypass(es) specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (Design chainage)	Name of the bypass	Design Chainages		Length of bypass (in km) for which additional fee is payable	Rate at which fee is payable
		Taking off at	Merging at		
At km 113.278 (existing km 348.885) near Village Pagara in District Guna	Ruthai Bypass	109.300 (existing km 344.250)	111.500 (existing km 347.100)	2.050 (Excluding length of structures >60m length)	150% of the base rates mentioned in Table-1 above
At km 165:197 (existing km 400.465) near Village Jogipura in District Guna	Binaganj Bypass	149.400 (existing km 385.000)	155.150 (existing km 390.300)	5.750	150% of the base rates mentioned in Table-1 above
Total				**7.800**	

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following toll plaza(s), by converting the length of structures into an equipment

length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10, at the base rate mentioned in Table 1 above:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At km 113.278 (existing km 348.885) near Village Pagara in District Guna	0.428*	4.280	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
At km 165.197 (existing km 400.465) near Village Jogipura in District Guna	0.3824**	3.824	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
Total	0.8104	8.104	

* The details of structures (> 60 m length) are as under:

S.No.	Start Chainage (at km)	End Chainage (at km)	Type and Name of the Structure	Total length (mtr.)
(i)	109.845	109.995	Major Bridge (on Ruthai Bypass 5*30)	150.000
(ii)	132.791	133.069	Major Bridge (1*20+7*34+1*20)	278.000
			Total length of structure	**428.000**

** The details of structures (> 60 m length) are as under:

S.No.	Start Chainage (at km)	End Chainage (at km)	Type and Name of the Structure	Total length (mtr.)
(i)	168.851	168.949	Major Bridge (1*12+3*24.8+1*12)	98.400
(ii)	185.679	185.781	Major Bridge (4*25.4)	101.600
(iii)	185.178	185.252	Flyover (1*15.6+2*21.6+1*15.6)	74.400
(iv)	190.196	190.304	Flyover (1*37+1*34+1*37)	108.000
			Total length of structure	**382.400**

4. The rate of monthly pass for local personal traffic is Rs. 245.00 (Rupees Two Hundred and Forty Five Only) for the year 2017-18 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys or more	Fifty or more	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. A mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall not be permitted to use the National Highway for crossing the Toll plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle. The driver or owner or a person in-charge of such overloaded mechanical vehicle shall be liable to pay fee, for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the Toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicles under the rules.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

10. Based on the base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table 1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority. The same shall be got published by the Authority in at least one newspaper, each in English and vernacular language through the Concessionaire and thereafter revised annually in accordance with the Rule 5 of the said Rules and provisions of the Concession Agreement and will be published; provided, however, that such revision shall not be effected until a period of 6 (six) months from the date of preceding revision of fee.

[F.No. NHAI/13013/CO/16-17/GC-Guna-Biaora Section/BOT (Toll)]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.03.10 11:22:29 +05'30'